बिहार सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

पत्रांक – 1121 पटना, दिनांक– 14-07-2016
संoसंo–ह0क0सह0–(यो0/स्वास्थ्य बीमा)–17/2013

प्रेषक,

अपर उद्योग निदेशक (तक0),
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी महाप्रबंधक (गया एवं भागलपुर को छोड़कर)
जिला उद्योग केन्द्र।
उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र)
गया/भागलपुर।

विषय :– **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के संबंध में।**

प्रसंग– विभागीय पत्रांक 910 दिनांक 03.06.2016 (विभागीय वेवसाईट पर प्रदर्शित एवं सभी महाप्रबंधक (गया एवं भागलपुर को छोड़कर) को ईमेल पर दिनांक 06.06.2016 को प्रेषित)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि प्रायः आपके स्तर से RSBY Proforma में बुनकर परिवार का विवरणी/आँकड़ा अपूर्ण रूप से उपलब्ध कराये जाने के कारण इसे प्रसंगगत त्रुटियों के निवारण हेतु वापस करना पड़ रहा है। इससे योजना कार्यान्वयन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। आर0एस0बी0वाई0 प्रपत्र के कॉलम 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एवं 19 में पूर्ण सूचना प्रति बुनकर परिवार के मुखिया सहित अलग–अलग प्रपत्र में दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही विहित प्रपत्र के कॉलम 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एवं 18 में बुनकर परिवार के अन्य सदस्यों की विवरणी भी अंकित किया जाना अपेक्षित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के तहत बुनकर परिवार के पाँच सदस्यों यथा– पति, पत्नी एवं तीन आश्रित को चिकित्सा लाभ से अच्छादित किये जाने का प्रावधान है।

अनुरोध है कि यथाशीघ्र पात्र बुनकर परिवारों की विवरणी जाँचोपरान्त विहित प्रपत्र में भरकर हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी (MS- Excel) में तैयार कर निदेशालय में उपलब्ध कराने की कृपा करें। साथ ही अग्रसारण पत्र में इसका उल्लेख करना सुनिश्चित करें कि सूची में शामिल पात्र बुनकर हैं, ये बुनाई कार्य कर रहे है या इससे संबंधित अनुषंगी कार्यों में संलग्न है।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

14.07.16
अपर उद्योग निदेशक (तक0),
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।